न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा, आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए / 354 / 2018

उनवान

1. श्रीमती नन्दू पत्नी नन्दराम ब्राह्मण निवासी नया खेडा , उखलिया, तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
2. श्रीमती सायरी पत्नी सोनाथ ब्राह्मण निवासी नया खेडा, उखलिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. श्रीमती घीसी पत्नी घनश्याम ब्राह्मण निवासी नया खेडा, उखलिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. मांगी पत्नी हीरा कुमर निवासी उंखलिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट / प्रतिवादीगण

बनाम

1. श्रीमती चान्दी पुत्री लक्ष्मण पत्नी ब्रह्मानन्द कुम्हार निवासी ऊंखलिया तहसील हुरडा हाल मुकाम संग्रामगढ , तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. श्रीमती छाउ पुत्री लक्ष्मण पत्नी नारायण कुम्हार निवासी ऊंखलिया हाल निवासी अण्टाली तहसील आसीन्द
3. श्रीमती प्रेम पुत्री लक्ष्मण पत्नी जीवण कुम्हार निवासी ऊंखलिया तहसील हुरडा हाल मुकाम भोजरास, तहसील हुरडा
4. श्रीमती मनभर पुत्री लक्ष्मण पत्नी कल्याण कुम्हार निवासी ऊंखलिया हाल मुकाम जोरावरपुरा, कंवलियास, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
5. जगदीश पुत्र लक्ष्मण कुम्हार निवासी ऊखलिया, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गुलाबपुरा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 29/2014 निर्णय एवं डिक्री दि0 6.6.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश तिवाडी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्रीमती निर्मला जैन, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 19.12.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ऊंखलिया तहसील हुरडा में लक्ष्मण पिता ऊंकार के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 868 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 870 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा(नी.डा.शा.नं.) आराजी नम्बर 870 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 874 रकबा 7 बीघा 09 बिस्वा (नी.डा.शा.नं.) आराजी नम्बर 878 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 880 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 881 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 882 रकबा 0.19 बिस्वा, आराजी नम्बर 1052 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 1064 रकबा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 1065 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, कुल किता 10 कुल रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा, पैतृक आराजियात स्थित है । पक्षकारान का सजरा निम्न प्रकार है :–

स्व0लक्ष्मण पुत्र स्व0 ऊंकार

मांगी (पत्नी)फौत जगदीशपुत्र चांदी पुत्री छाऊपुत्री प्रेम पुत्री मनभरपुत्री

लक्ष्मण के फौत हो जाने से सजरे के अनुसार वारिसान प्रतिवादी नम्बर 1 को आवश्यक

(कैलाश चन्द्र ...)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं ...
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पक्षकार बनाया गया है। लक्ष्मण के फौत हो जाने पर इनके एक पुत्र एवं चार पुत्रियाँ वादीगण लक्ष्मण के नुत्फे से उत्पन्न हुई। इस प्रकार जगदीश प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम जो राजस्व एजेन्सी द्वारा जो नामान्तरकरण खोला गया है वह प्राथमिक रूप से गलत होकर वादीगण के हकों पर कुठाराघात है। लक्ष्मण के समय की पैतृक आराजी जैर बहस में प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/5 भाग एंव वादीया नं. 1 से लगायत 4 का प्रत्येक का 1/5, 1/5 भाग हिस्सा होकर इसी अनुरूप आराजियात कब्जेकाश्त में चली आ रही है।

2. प्रतिवादी नम्बर 1 ने तथ्यों को छुपाकर आराजी को अपने नाम दर्ज करवा लिया एवं राजस्व एजेन्सी को भी अन्धेरे में रखकर एवं मिलीभगत से वादीगण के हक हिस्से की आराजियात में बिना वादीगण की जानकारी के अपने नाम पर दर्ज करवा ली जबकि प्रतिवादी नम्बर 1 के साथ वादीगण का भी समान हक हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजी समान हक हकूक की होकर वादीगण का समान हक हिस्सा होते हुए भी प्रतिवादी नम्बर 1 ने आराजी नम्बर 868 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 870 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा(नी.डा.शा.नं.) आराजी नम्बर 870 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 874 रकबा 7 बीघा 09 बिस्वा (नी.डा.शा.नं.) आराजी नम्बर 878 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 880 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 881 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 882 रकबा 0.19 बिस्वा, को हक व अधिकारों से परे जाकर प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 5 श्रीमती नन्दू देवी पत्नी नन्दराम ब्राह्मण निवासी नया खेडा ऊंखलिया व श्रीमती सायरी पत्नी सोनाथ ब्राह्मण निवासी नया खेडा ऊंखलिया, श्रीमती घीसी पत्नी घनश्याम ब्राह्मण निवासी नया खेडा ऊंखलिया, व श्रीमती मांगी पत्नी हीरा कुम्हार निवासी नया

(कैलास चन्द्र ...)
भू-प्रबन्ध अधिकारी ...
राजस्व अपील प्राधिकारी, ...

खेडा ऊंखलिया को बेचान कर दी । जिसका प्रतिवादी नम्बर को हक व अधिकार नहीं था । उक्त बेचान वादीगण के हक के मुकाबले शून्य होकर बेअसर है। उक्त बेचान अवैधानिक होकर कानून द्वारा कोई मान्यता नहीं दी जा सकती । वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम पर गलत एवं अवैधानिक तरीके से दर्ज हुई जिससे वादीगण का भी समान अर्थात प्रत्येक का 1/5, 1/5 हक हिस्से से घोषणा कराये जाने के अधिकारी है। उक्त अनुसार ही प्रत्येक वादीगण 1/5 हिस्से के अनुसार भूमि का विभाजन कराने के भी अधिकारी है।

3. प्रतिवादी नम्बर 1 वादीगण के हक हिस्से की आराजी में नाजायज रूप से कब्जा कर संयुक्त आराजी के वादीगण के कब्जेकाश्त की विशिष्ट आराजी को अन्य दिगर को बेचान करने पर आमादा हैं व हाल ही में दिनांक 5.8.2000 को प्रतिवादी नम्बर 1 ने उक्त संयुक्त आराजी में से विशिष्ट भू भाग को अन्य अजनबी व्यक्ति को बेचान कर दिया है। और अपने हक हिस्से की आराजी का बिना विभाजन कराये दिगर को बय, बेचान, बक्षीय व रहन रख, दस्तावेज पंजीयन कराने पर आमादा है। इस कारण वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है । वादीगण ने वादग्रस्त आराजी का सहमति से बंटवाडा करने के लिए दिनांक 11.1.2014 को कहा तो प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया। अतःदावा वादी डिक्री किया जाकर ग्राम ऊंखलिया तहसील हुरडा में लक्ष्मण पिता ऊंकार के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 868 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 870 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा(नी.डा.शा.नं.) आराजी नम्बर 870 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 874 रकबा 7 बीघा 09 बिस्वा (नी.डा. शा.नं.) आराजी नम्बर 878 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 880 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर

(किशोर चन्द्र लखारा)
मुख्य अधिकारी एवं पदेन
... भीलवाड़ा

881 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 882 रकबा 0.19 बिस्वा, आराजी नम्बर 1052 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 1064 रकबा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 1065 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, कुल किता 10 कुल रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा, में वादी का 1/5 हक हिस्से से व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 भाग हक हिस्से से हक खातेदारी घोषणा करवाई जावे। इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर विभाजन करवाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 4 ने वाद पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उनके पिता लक्ष्मण जी के फौत हो जाने के बाद रेस्पोडेण्ट संख्या 5 के नाम राजस्व एजेन्सी द्वारा जो नामान्तरकरण खोला गया, वह प्राथमिक रूप से गलत है एवं यह वर्णित किया कि मौके पर वादग्रस्त आराजियात पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हैं। इस पर अपीलाण्ट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर सजरे को गलत तौर पर दर्शाना बताते हुए वादग्रस्त आराजियात पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 4 का कोई कब्जा मौके पर नहीं हैं न ही वादग्रस्त भूमि से उनका कोई

(कैलाश चन्द्र सरकार)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

हक संबंध है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 ने लक्ष्मण जी की पुत्रियॉ होना होना बताते हुए अपने अधिकार बताये हैं। जबकि लक्ष्मण जी के निधन होने के समय वादीगण को पुत्रियों की हैसियत से कोई हक अधिकार हासिल नहीं होते हैं। क्योंकि वर्ष 2005 के बाद पिता का निधन होता है तो ही पुत्रियों को हक अधिकार हासिल हा सकते हैं। इस मामले में स्वीकृत तौर पर लक्ष्मण जी का निधन लगभग 40 वर्ष पहले हो चुका था एवं खाता रेस्पोडेण्ट संख्या 5 के नाम खुल चुका था, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के हक अधिकार नामान्तरकरण से प्रभावित हो रहे होते तो उनके द्वारा नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत की जाती लेकिन उसमें कोई अवैधता व अनियमितता नहीं होने के कारण उसकी अपील प्रस्तुत नहीं की हुई है। इस प्रकार के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आ जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने के बावजूद भी वादीगण का वाद गलत तौर पर डिक्री किया है। जो निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स ने रेस्पोडेण्ट संख्या 5 से वादग्रस्त आराजी संख्या 868, 870, 874, 878, 881 कुल किता 5 कुल रकबा 17 बीघा 07 बिस्वा में सम्पूर्ण हक हिस्सा व आराजी नम्बर 869 गैर मुमकिन चाह में से 17/40 वॉ हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.6.2010 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तब से वादग्रस्त आराजियात पर अपीलाण्ट्स अपने व क्रयसुदा हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है एवं अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त आराजियात क्रय करने के बाद राजस्व कैम्प दिनांक 10.12.2010 को उक्त आराजियात का आपस में अर्थात अपीलाण्ट संख्या 1 से 3 ने विभाजन सक्षम

(कैलाश चन्द्र ...)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, ...

अथोरिटी के द्वारा करवा लिया, इस प्रकार अपीलाण्ट्स अपनी खरीदसुदा आराजियात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 ने मिथ्यातौर पर द्वेषतापूर्ण यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है। जो खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निांक 16.6.2010 को भी कहीं पर चुनौती नहीं दी है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 लगायत 5 को वादीगण के पक्ष में निर्णित करने में गंभीर त्रुटि की है क्योंकि उक्त तनकियात के संबंध में वादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई एवं न ही कोई दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि वे लक्ष्मण जी की पुत्रियॉ होकर वादग्रस्त आराजियात पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हो, फिर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई साक्ष्य सबूत के खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा बाबत वाद पत्र डिक्री करने में गंभीर त्रुटि की है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह वर्णित किया कि प्रकरण जैर बहस वकील वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 जाब्ता दीवानी का प्रस्तुत किये जाने से मिशल वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु नियत थी। तत्पश्चात लोक अदालत कैम्प कोर्ट ऊंखलिया पर पेश हुई एवं वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दस्तोवज को रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया गया तथा वकील उभयपक्ष द्वारा अंतिम बहस सुने जाने पर सहमति व्यक्त किये जाने से अंतिम बहस सुनी गई जबकि अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने ऐसी कोई सहमति एवं उपस्थिति कैम्प कोर्ट में नहीं दी है फिर भी

(कैलास चन्द्र लखेरा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, बीसलपुर

अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी अधिकार के ऐसा वर्णित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण का निस्तारण कैम्प कोर्ट ऊंखलिया में निर्णित होना वर्णित किया है जबकि कैम्प कोर्ट ऊंखलिया में अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने कोई उपस्थिति नहीं दी एवं न ही उसकी ओर से कोई बहस ही की है । पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र में नियत थी एवं वाद पत्र जो कि खातेदारी अधिकारों का होने से प्रकरण मे साक्ष्य सबूतों के आधार पर ही न्याय निर्णयन होना कानूनन लाजमी है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त की जावे।

11. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात को प्रत्यर्थी संख्या 5 को विक्रय करने का अधिकार नहीं था। वादग्रस्त आराजियात ग्राम ऊंखलिया तहसील हुरडा में लक्ष्मण पिता ऊंकार के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 868 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 870 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा(नी.डा.शा.नं.) आराजी नम्बर 870 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 874 रकबा 7 बीघा 09 बिस्वा (नी.डा. शा.नं.) आराजी नम्बर 878 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 880 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 881 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 882 रकबा 0.19 बिस्वा, आराजी नम्बर 1052 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 1064 रकबा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 1065 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, कुल किता 10 कुल रकबा 22

(कैलाश चन्द्र लखारा)
पीठासीन अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

बीघा 19 बिस्वा, पैतृक आराजियात थी। जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 का 1/5, 1/5 वॉ हक हिस्सा निहित था। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 मृतक लक्ष्मण जी की पुत्रियॉ है। लक्ष्मण जी के निधन के बाद ही प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4/वादीगण का वादग्रस्त आराजियात में 1/5 वॉ हिस्सा दर्ज होना चाहिये था। राजस्व एजेन्सी की गलती की वजह से प्रत्यर्थी संख 5 अकेले के नाम पर दर्ज कर दी गई। जिससे प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा वादग्रस्त आराजियात का विक्रय अपीलार्थीगण को किया गया है। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 5 को उसके हक हिस्से तक की भूमि ही विक्रय करने का अधिकार था। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का प्रकरण के प्ररिप्रक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजियात तत्कालीन खातेदार प्रत्यर्थी संख्या 5 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। वादग्रस्त आराजियात पर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 का कोई कब्जा नहीं रहा है। उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.6.2010 को कोई चुनौती नही दी है। लक्ष्मण जी की मृत्यु के उपरान्त प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम विरासत से नामान्तरकरण खोला गया उसे भी निरस्त कराने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

13. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त 8 तनकियात कायम की गई। जो निम्न प्रकार है :–

1. आया वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णितज आराजियात वादीगण की पैतृक सम्पति होकर लक्ष्मण पुत्र उंकार के नाम दर्ज थी। ....वादी

(कैलाश चन्द्र ...)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

2. आया लक्ष्मण की विरासत का खाता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खोला व वादीगण के हकों पर शून्य प्रभावी है ? .....वादी
3. आया आराजी मुतदाविया में वादीगण व प्रतिवादी सख्या 1 का 1/5, 1/5 समान हक हिस्सा है। और इसी हक हिस्से अनुसार वह काबिज काश्त चले आ रहे हैं।
4. आया प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 05 को किया गया विक्रय वादीगण के हकों पर शून्य प्रभावी हैं। .....वादी
5. आया वादीगण आराजी मुतदाविया में समान हक हिस्से से घोषणा, विभाजन तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।
6. आया जवाब दावा की कलम नम्बर 23 में वर्णित कारणों से दावा वादी खारिज योग्य है।
7. आया वादीगण, प्रतिवादी संख्या 2से 5 के हक में हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को सिविल न्यायालय से केन्सिल न कराले तब तक वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं ।कृप्रतिवादी
8. अनुतोष ?

14. अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 को वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2031 से 2034 मौजा उंखलिया में दर्ज आराजी नम्बर 868 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 870 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा(नी.डा. शा.नं.) आराजी नम्बर 870 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 874 रकबा 7 बीघा 09 बिस्वा (नी.डा.शा.नं.) आराजी नम्बर 878 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 880 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 881 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 882 रकबा 0.19 बिस्वा, आराजी नम्बर 1052 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 1064 रकबा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 1065 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा,

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कुल किता 10 कुल रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा, भूमि लक्ष्मण पिता उंकार कुम्हार साकिन देह के नाम दर्ज होने के आधार पर तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की है।

15. तनकी संख्या 2 व 3 को अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा एकसाथ निर्णित की गई है। हाल राजस्व जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के अनुसार वादग्रस्त आराजी लक्ष्मण की विरासत से जगदीश पिता लक्ष्मण कुम्हार के नाम दर्ज होना साबित हुआ है। जबकि वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता लक्ष्मण के खातेदारी की होने से वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 का वादग्रस्त आराजियात में 1/5हक हिस्सा निहित होना मानते हुए उपरोक्त दोनों तनकियों को वादीगण के पक्ष में निर्णित की है।

16. तनकी संख्या 4 व 5 को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक साथ निर्णित किया गया है। वादग्रस्त आराजियात लक्ष्मण पिता उंकार के समय की होना और वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 मृतक खातेदार लक्ष्मण के पुत्र व पुत्रियॉ हैं जिनका वादग्रस्त आराजियात में समान हक हिस्सा अर्थात 1/5 हिस्सा निहित होना माना है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के अनुसार वादग्रस्त आराजियात में से आराजी नम्बर 868, 870, 874, 878, 881 किता 5 रकबा 17 बीघा 07 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1/प्रत्यर्थी संख्या 5 जगदीश द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 नन्दू देवी, प्रतिवादीसंख्या 3 सायरी देवी, प्रतिवादी संख्या 4 घीसी देवी, एवं प्रतिवादी संख्या 5 मांगी देवी जो कि अपीलार्थीगण को विकय किया जाना प्रकट आया है। जबकि जगदीश प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा उसके हक अधिकार 1/5 वें हिस्से से ज्यादा भूमि का विकय किया जाना पाया गया । इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1

(कैलाश चन्द्र लखावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

लगायत 4 /वादीगण के पक्ष में उक्त तनकियात निर्णित की गई है।

17. तनकी संख्या 6 को निर्णित करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण का कथन था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4/वादीगण अपने ससुराल रहती है। उनका वादग्रस्त आराजी पर भौतिक कब्जा नहीं रहा है। वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होने से उनका कब्जाकाश्त होना माना है। भले ही भौतिक रूप से कब्जा नहीं रहा हो।

18. तनकी संख्या 7 को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने की दाद नहीं चाही है उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को वादीगण के हक हिस्से तक नाजायज व बेअसर किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। जो राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होने से उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार गुणावगुण के आधार पर विस्तृत निर्णय पारित किया है। जो विधिसम्मत होने से हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

19. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6.6.2018 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

20. निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

(केलाश चन्द्र लखावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री कैलास चन्द्र लखारा, आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/354/2018

उनवान

1. श्रीमती नन्दू पत्नी नन्दराम ब्राह्मण निवासी नया खेडा , उखलिया, तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा
2. श्रीमती सायरी पत्नी सोनाथ ब्राह्मण निवासी नया खेडा, उखलिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. श्रीमती घीसी पत्नी घनश्याम ब्राह्मण निवासी नया खेडा, उखलिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. मांगी पत्नी हीरा कुमर निवासी उंखलिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण

बनाम

1. श्रीमती चान्दी पुत्री लक्ष्मण पत्नी ब्रह्मानन्द कुम्हार निवासी ऊंखलिया तहसील हुरडा हाल मुकाम संग्रामगढ , तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. श्रीमती छाउ पुत्री लक्ष्मण पत्नी नारायण कुम्हार निवासी ऊंखलिया हाल निवासी अण्टाली तहसील आसीन्द
3. श्रीमती प्रेम पुत्री लक्ष्मण पत्नी जीवण कुम्हार निवासी ऊंखलिया तहसील हुरडा हाल मुकाम भोजरास, तहसील हुरडा
4. श्रीमती मनभर पुत्री लक्ष्मण पत्नी कल्याण कुम्हार निवासी ऊंखलिया हाल मुकाम जोरावरपुरा, कंवलियास, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
5. जगदीश पुत्र लक्ष्मण कुम्हार निवासी ऊखलिया, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गुलाबपुरा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 29/2014 निर्णय एवं डिक्री दि0 6.6.2018

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/354/2018 मे **उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती है:–

यह अपील तारीख 18.12.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री दिनेश तिवाडी वकील एवं प्रत्यर्थी श्रीमती निर्मला जैन एवं राजकीय पक्ष की ओर से श्री ओम प्रकाश सोनी की उपस्थिति मे दिनांक 18.12.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि:–

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6.6.2018 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 18.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये झापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. फीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. फीडर की फीस